इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391] भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 जुलाई 2017—श्रावण 4, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्रमांक एफ ए 3-37/2017/1/पांच (77) - राज्य सरकार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे माल की प्रदाय को विनिर्दिष्ट करती है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आती है और जिसकी प्रदाय उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है तथा जिसकी बाबत राज्य कर स्तंभ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे माल की राज्य के भीतर प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा विपरीत प्रभार आधार पर संदत्त किया जाएगा और उक्त अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की प्रदाय का विवरण	माल का प्रदायकर्ता	प्रदाय का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0801	काजू, जिनका छिलका नहीं निकाला गया है या जिन्हें छीला नहीं गया है	कृषक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

2.	1404 90 10	बीड़ी लपेटने वाले पत्ते (तेन्दू)	कृषक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
3.	2401	तंबाकू के पत्ते	कृषक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
4.	5004 से 5006	रेशम सूत	कोई व्यक्ति जो रेशम सूत की प्रदाय के लिए कच्चे रेशम या रेशम कीट ककून से रेशम सूत का विनिर्माण करता है	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
5.	-	लाटरी की प्रदाय	राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या कोई स्थानीय प्राधिकारी	लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता । स्पष्टीकरण,- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, लाटरी वितरक या उसका विक्रय करने वाला अभिकर्ता का वही अर्थ है, जो उनका लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1998 का 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन बनाए गए लाटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के खंड (ग) में है ।

स्पष्टीकरण -

(1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.